



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274134
CG-DL-E-04072026-274134

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3382]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948

No. 3382]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सं. 22/2026-27

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022के अध्याय 74 (नीतिगत शर्त 3, उप-पैरा (ग)) और अध्याय 76 (नीतिगत शर्त 1, उप-पैरा (ग)) के तहत आयात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3517(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से आइटीसी (एचएस), 2022के अध्याय 74 (नीतिगत शर्त 3, उप-पैरा (ग)) और अध्याय 76 (नीतिगत शर्त 1, उप-पैरा (ग))से संबंधित निम्नलिखित संशोधन करती है:

अध्याय सं.	मौजूद आयात नीति	संशोधित आयात नीति
अध्याय 74 [नीतिगत शर्त क्र.सं.3, उप-पैरा (ग)]	ग. आयातकों को अलौह धातु आयात निगरानी प्रणाली (एनएफएमआइएमएस) के तहत अनुलग्नक-1 (तांबे के लिए) और अनुलग्नक-2 (एल्यूमीनियम के लिए) में मदों के आयात के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम जानकारी प्रस्तुत करने और परिशिष्ट 2ट के अनुसार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अपेक्षित होगा। आयातक को आयात खेप के आने से पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। खेप के आने की अनुमानित तारीख से 60 दिन से पहले पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। इस तरह से प्राप्त स्वचालित संख्या 75 दिनों की अवधि तक वैध रहेगी।	ग. आयातकों को अलौह धातु आयात निगरानी प्रणाली (एनएफएमआइएमएस) के तहत अनुलग्नक-1 (तांबे के लिए) और अनुलग्नक-2 (एल्यूमीनियम के लिए) में मदों के आयात के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम जानकारी प्रस्तुत करने और परिशिष्ट 2ट के अनुसार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अपेक्षित होगा। आयातक को आयात खेप की अंतिम निकासी/आउट ऑफ चार्ज से पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। खेप के आने की अनुमानित तारीख से 60 दिन से पहले पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। इस तरह से प्राप्त स्वचालित संख्या 75 दिनों की अवधि तक वैध रहेगी।
अध्याय 76 [नीतिगत शर्त क्र.सं.1, उप-पैरा (ग)]	आयातकों को अलौह धातु आयात निगरानी प्रणाली (एनएफएमआइएमएस) के तहत अनुलग्नक-1 (तांबे के लिए) और अनुलग्नक-2 (एल्यूमीनियम के लिए) में मदों के आयात के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम जानकारी प्रस्तुत करने और परिशिष्ट 2ट के अनुसार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अपेक्षित होगा। आयातक को आयात खेप के आने से पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। खेप के आने की अनुमानित तारीख से 60 दिन से पहले पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। इस तरह से प्राप्त स्वचालित संख्या 75 दिनों की अवधि तक वैध रहेगी।	आयातकों को अलौह धातु आयात निगरानी प्रणाली (एनएफएमआइएमएस) के तहत अनुलग्नक-1 (तांबे के लिए) और अनुलग्नक-2 (एल्यूमीनियम के लिए) में मदों के आयात के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम जानकारी प्रस्तुत करने और परिशिष्ट 2ट के अनुसार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अपेक्षित होगा। आयातक को अंतिम निकासी/आउट ऑफ चार्ज से पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। खेप के आने की अनुमानित तारीख से 60 दिन से पहले पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। इस तरह से प्राप्त स्वचालित संख्या 75 दिनों की अवधि तक वैध रहेगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: अधिसूचना आइटीसी (एचएस), 2022 के अध्याय 74 [नीतिगत शर्त 3 (ग)] और अध्याय 76 [नीतिगत शर्त 1 (ग)] को अधिसूचित करती है जिससे आयातकों को सीमा शुल्क विभाग के "आउट ऑफ चार्ज" के आदेश अर्थात् सीमा शुल्क क्षेत्र से मालको हटाने के लिए सीमा शुल्क की अंतिम निकासी जारी होने से पूर्व कभी भी एनएफएमआइएमएस के अंतर्गत पंजीकरण कराने की सुविधा मिलती है, जिससे नियमों का पालन करना आसान हो जाता है और आयात निकासी की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी होती है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/03/एएम-26/पीसी-2 (ए)/ई-46034]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

No. 22/2026-27

Subject: Amendment in Import Policy under Chapter 74 (Policy Condition 3, sub-para (c)) and Chapter 76 (Policy Condition 1, sub-para (c)) of the ITC(HS), 2022 – Reg.

S.O. 3517(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments relating to **Chapter 74 (Policy Condition 3, sub-para (c)) and Chapter 76 (Policy Condition 1, sub-para (c)) of the ITC(HS) 2022**, with immediate effect:

Chapter No.	Existing Import Policy	Revised Import Policy
Chapter 74 [Policy Condition Sl. No. 3, Sub Para (c.)]	c. The Non-ferrous metal Import Monitoring System (NFMIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items in the Annexure-I (for copper) and Annexure-II (for aluminium) and obtain an automatic Registration Number by paying a registration fee as per Appendix 2K. The importer shall apply for registration before the arrival of import consignment. Registration can be applied not earlier than 60th day before the expected date of arrival. The automatic number thus granted shall remain valid for a period of 75 days.	c. The Non-ferrous metal Import Monitoring System (NFMIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items in the Annexure-I (for copper) and Annexure-II (for aluminium), and obtain an automatic Registration Number by paying a registration fee as per Appendix 2K. The importer shall apply for registration before final clearance / 'Out of Charge' consignment. Registration can be applied not earlier than 60th day before the expected date of arrival. The automatic number thus granted shall remain valid for a period of 75 days.
Chapter 76 [Policy Condition Sl. No. 1, Sub Para (c.)]	The Non-ferrous Metal Import Monitoring System (NFMIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items in the Annexure-I (for copper) and Annexure-II (for aluminium) and obtain an automatic Registration Number by paying a registration fee as per Appendix 2K. The importer shall apply for registration before the arrival of import consignment. Registration can be applied not earlier than 60th day before the expected date of arrival. The automatic number thus granted shall remain valid for a period of 75 days.	The Non-ferrous Metal Import Monitoring System (NFMIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items in Annexure-I (for copper) and Annexure-II (for aluminium), and obtain an automatic Registration Number by paying a registration fee as per Appendix 2K. The importer shall apply for registration before final clearance / 'Out of Charge' . Registration can be applied not earlier than 60th day before the expected date of arrival. The automatic number thus granted shall remain valid for a period of 75 days.

Effect of this Notification: The notification amends **Chapter 74 [Policy Condition 3(c)] and Chapter 76 [Policy Condition 1(c)] of the ITC(HS) 2022** to allow importers to obtain registration under the NFMIMS at any time before the issuance of the Customs "**Out of Charge**" order, i.e., the final Customs clearance permitting removal of goods from the Customs area, thereby easing compliance and facilitating smoother import clearance.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce and Industry.

[F. No. 01/89/180/03/AM-26/PC.2(A)/E-46034]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.